भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3164
दिनांक 09 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

महाराष्ट्र में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं

†3164. श्री संजय दीना पाटिल:
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:
श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिल:
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:
श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:
श्री अमर शरदराव काले:
श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:
श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:
श्रीमती सुप्रिया सुले:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र सहित देश में विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान आज तक उक्त योजनाओं के अंतर्गत महाराष्ट्र को किए गए निधि आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश के अस्पतालों में उपलब्ध बिस्तरों की संख्या का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में अस्पताल में उपलब्ध बिस्तरों की संख्या और अस्पतालों में आवश्यक बिस्तरों की संख्या में बहुत बड़ा अंतर है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को ज्ञात है कि उसे जनसंख्या की बढ़ती स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा करने की जरूरत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या सरकार का स्वास्थ्य उद्योग में प्रमुख हिस्सेदारी वाली निजी कंपनियों को शामिल करने और उन्हें आगे आने तथा देश में और अधिक अस्पताल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) सरकार द्वारा जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों की बढ़ती संख्या से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): एनएचएम के तहत महाराष्ट्र राज्य सहित देश में भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों में मौजूदा उपकेन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का कायाकल्प करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर का प्रचालन, संविदा आधार पर स्वास्थ्य मानव संसाधन लगाने के लिए सहायता, राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाएं, मोबाइल मेडिकल यूनिट, आशाकर्मी, अवसंरचना सुदृढ़ीकरण, 24x7 सेवाएं और प्रथम रेफरल सुविधा केन्द्र, मेरा अस्पताल, कायाकल्प पुरस्कार योजना, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम,राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक कार्यान्वयन और संबंधित कार्यकलाप, लक्ष्य प्रमाणन, जैव चिकित्सा उपकरण अनुरक्षण और प्रबंधन कार्यक्रम, निशुल्क नैदानिक सेवा पहल और निःशुल्क औषध सेवा पहल शामिल है। इसके अलावा, मिशन परिवार विकास, किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लीनिक (एएफएचसी), साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड संपूरण (डब्ल्यूआईएफएस), मासिक धर्म स्वच्छता योजना, सुविधा केन्द्र आधारित नवजात शिशु परिचर्या (एफबीएनसी), गृह आधारित नवजात परिचर्या कार्यक्रम, निमोनिया को सफलतापूर्वक निष्प्रभावी करने के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई (एसएएनएस), युवा बच्चों के लिए गृह आधारित देखभाल (एचबीवाईसी), राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके), प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास (ईसीडी) व्यापक गर्भपात परिचर्या (सीएसी), एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) कार्यनीति, पोषण पुनर्वास केन्द्र (एनआरसी) कार्यक्रम और सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम जैसी पहलों से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक पहुॅच बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

(ख): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान करती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी आरओपी का विवरण निम्नलिखित वेब लिंक पर उपलब्ध है:
https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=1377&lid=744

(ग): और (घ): राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफ़ाइल, 2023 के अनुसार, भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार उपलब्धता **अनुलग्नक** में दी गई है।
(ङ): पन्द्रहवें वित्त आयोग (एफसी-XV) ने स्वास्थ्य क्षेत्र के विशिष्ट घटकों के लिए स्थानीय सरकारों के माध्यम से 70,051 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की है और इसे संघ सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। स्थानीय सरकारों के माध्यम से स्वास्थ्य के लिए ये अनुदान वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष

2025-26 तक पांच वर्ष की अवधि तक के लिए हैं और इसमें निम्नतम स्तर पर स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए महाराष्ट्र राज्य के लिए एफसी-XV स्वास्थ्य अनुदान के तहत 7067 करोड़ रुपये की कुल राशि आवंटित की गई है।

पीएम-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 64,180 करोड़ रुपये की राशि से शुरू किया गया था। पीएम-एबीएचआईएम के तहत किए गए उपाय वर्तमान और भविष्य की महामारियों/आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों को तैयार करने के लिए प्राथमिक, मध्यम और विशिष्ट सभी स्तरों पर परिचर्या की निरंतरता में स्वास्थ्य प्रणालियों और संस्थानों की क्षमताओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पीएम-एबीएचआईएम के तहत, इस योजना अवधि के दौरान 730 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आईपीएचएल), 3382 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों (बीपीएचयू) और 602 क्रिटिकल केयर ब्लॉक (सीसीबी) के निर्माण/सुदृढ़ीकरण के लिए प्रावधान किए गए हैं। वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए महाराष्ट्र राज्य के लिए पीएम-एबीएचआईएम के तहत 1195.15 करोड़ रुपये की कुल राशि आवंटित की गई है।

(च): सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मुख्य आधारों में से एक रही है और भारत में स्वास्थ्य सुधारों का अभिन्न अंग बनी हुई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, सरकार देश में जिला अस्पतालों के स्वास्थ्य पारितंत्र के आधुनिकीकरण के लिए पीपीपी मॉडल को प्रोत्साहित कर रही है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के तहत, 29,281 सूचीबद्ध अस्पतालों में से, 12,625 निजी अस्पतालों को लगभग 55 करोड़ योजना लाभार्थियों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

(छ): राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के तहत जीवन शैली से जुड़े रोगों सहित विभिन्न रोगों का निराकरण करने के लिए अब तक 753 जिला एनसीडी क्लीनिक, 222 जिला हृदय परिचर्या एकक, 356 जिला दिवस परिचर्या केन्द्र और 6238 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एनसीडी क्लीनिक स्थापित किए गए हैं।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) का उद्देश्य समुदाय के करीब एनसीडी सेवाओं सहित व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या (सीपीएचसी) प्रदान करना है। सामुदायिक स्तर पर आरोग्य कार्यकलापों और लक्षित संचार को बढ़ावा देकर व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के तहत एनसीडी के निवारक पहलू को मजबूत किया जाता है।

09.08.2024 को उत्तर के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3164 के उत्तर के भाग (ख) और (ग) में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक

भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सरकारी अस्पतालों और बिस्तरों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रभाग	ग्रामीण अस्पताल (सरकारी)		शहरी अस्पताल (सरकारी)		कुल अस्पताल (सरकारी)	
		संख्या	बिस्तर	संख्या	बिस्तर	संख्या	बिस्तर
1	आंध्र प्रदेश	1276	11840	691	28012	1967	39852
2	अरुणाचल प्रदेश	113	465	71	2198	184	2663
3	असम	1262	10070	78	13115	1340	23185
4	बिहार	1761	12125	101	14393	1862	26518
5	छत्तीसगढ़	198	9200	49	410	247	9610
6	गोवा	25	1926	21	1452	46	3378
7	गुजरात	1822	22092	478	27059	2300	49151
8	हरियाणा	527	6042	128	8188	655	14230
9	हिमाचल प्रदेश	727	7123	76	9467	803	16590
10	झारखंड	4344	10517	84	3089	4428	13606
11	कर्नाटक	2357	19317	629	52086	2986	71403
12	केरल	1073	16285	214	22240	1287	38525
13	मध्य प्रदेश	330	13410	135	21206	465	34616
14	महाराष्ट्र	364	10920	148	16417	512	27337
15	मणिपुर	5	437	6	2017	11	2454
16	मेघालय	146	2080	15	2470	161	4550
17	मिजोरम	72	935	22	1050	94	1985
18	नागालैंड	152	921	19	967	171	1888
19	ओडिशा	1671	6995	179	18641	1850	25636
20	पंजाब	461	4608	214	14412	675	19020
21	राजस्थान	2267	13602	969	44878	3236	58480
22	सिक्किम	24	260	12	1550	36	1810
23	तमिलनाडु	2003	49197	641	67536	2644	116733
24	तेलंगाना	701	5020	400	29288	1101	34308
25	त्रिपुरा	145	2170	25	3173	170	5343
26	उत्तर प्रदेश	3929	44505	1013	35047	4942	79552
27	उत्तराखंड	579	3394	117	5024	696	8418
28	पश्चिम बंगाल	1293	25664	217	71336	1510	97000
29	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	27	821	3	588	30	1409
30	चंडीगढ़	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	54	4035	54	4035
31	दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव	13	543	2	695	15	1238
32	दिल्ली	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	114	31492	114	31492
33	जम्मू और कश्मीर	1596	5979	214	3955	1810	9934
34	लद्दाख	42	338	2	464	44	802
35	लक्षद्वीप	10	250	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	10	250
36	पुडुचेरी	86	341	51	2965	137	3306
कुल		**30125**	**307552**	**6501**	**532903**	**36626**	**840455**

स्रोत : राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफ़ाइल 2023

****